मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 22.07.09

क्रमांक एफ 20-38/08/बी/ग्यारह : इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-46/03/बी/ग्यारह, दिनांक 24.10.07 द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 एवं कार्ययोजना (संशोधित) जारी की गई थी जो दिनांक 31/03/09 तक प्रभावशील रही है।

2. राज्य शासन द्वारा उक्त उद्योग संवर्धन नीति, 2004 एवं कार्य योजना के प्रभावशील रहने की अवधि दिनांक 1-4-2009 से दिनांक 31-12-2009 अथवा नवीन संशोधित/पुनरीक्षित उद्योग नीति के प्रभावशील होने के दिनांक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 01/04/2009 से इस नीति के प्रभावशील रहने की अवधि में जो इकाईयां उत्पादन में आती है उन्हें वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो कि दिनांक 01/04/09 के पूर्व उत्पादन में आने वाली इकाईयों को उपलब्ध हो रही थी।

3. उद्योग संवर्धन नीति, 2004 एवं कार्ययोजना की अवधि दिनांक 01/04/09 से दिनांक 31/12/09 अथवा संशोधित/पुनरीक्षित उद्योग नीति के प्रभावशील होने के दिनांक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाने पर नीति के अनुसार उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं/सहायता दिये जाने से संबंधित अधिसूचनाओं/आदेशों (जो अन्य विभागों से भी संबंधित होंगे) की अवधि संबंधित विभागों द्वारा तदनुरूप बढ़ाई जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 22/07/09

पृ0क्र0 एफ 20-38/08/बी/ग्यारह

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ... विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इनवेस्मेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0/ म0प्र0 एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
::मंत्रालय::

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 22 जनवरी,2010

[illegible] विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2009 [illegible] उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना (संशोधित) की प्रभावशीलता की अवधि, दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 31.12.2009 अथवा नवीन संशोधित/पुनरीक्षित उद्योग नीति के प्रभावशील होने के दिनांक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाई गई थी।

2 अब राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना की प्रभावशीलता की अवधि दिनांक 31.03.2010 तक बढ़ाई जाती है। परिणाम स्वरूप दिनांक 01.01.2010 से इस नीति के प्रभावशील रहने की अवधि में जो इकाईयां उत्पादन में आती है, उन्हें वहीं सुविधायें प्राप्त होगीं जो दिनांक 01.01.2010 के पूर्व उत्पादन में आने वाली इकाईयों को उपलब्ध हो रही थी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ--20--38/08/बी--ग्यारह:: भोपाल,दिनांक 22-1-10

प्रतिलिपिः--

1./ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन
....मंत्रालय,भोपाल।

2/ उद्योग आयुक्त,उद्योग संचालनालय,भोपाल।

3/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड,भोपाल/मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग